

# स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा एवं कानूनी जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

## A Sociological Study of Education and Legal Awareness among Undergraduate and Graduate Students (With Special Reference to Chhindwara District)

### सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा एवं कानूनी जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) किया गया है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन स्तर में वृद्धि देखी गई है। महिलायें अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, शासन से लाभान्वित छात्राओं के कारण अन्य छात्राओं में भी जागरूकता आ रही है।

छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें, नौकरियों में आरक्षण एवं शिक्षा हेतु बैंकों से ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा छात्राओं के कौशल विकास के लिए अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। सरकारी सुविधाओं के कारण सामाजिक, पारिवारिक मानसिकता में परिवर्तन आया है। साथ ही छात्राएँ शिक्षा एवं कानून के प्रति जागरूक हुई हैं।

In the research paper presented, a sociological study of education and legal awareness among undergraduate and postgraduate students (with special reference to Chhindwara district) has been done. Government schemes have an important role in the all-round development of female students, as a result of which the standard of living of women has increased. Women are now walking step by step with men, awareness among other girls is also coming due to the students benefiting from the government.

Free books, reservation in jobs and loans from banks are also being provided to the girls for all round development and many professional courses are being conducted for skill development of the girl students. The social, family mentality has changed due to government facilities. Also, students have become aware of education and law.

**मुख्य शब्द** : शिक्षा, सामाजिक, पारिवारिक, पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर।

**Keywords** : Education, Social, Family, Curriculum, Higher Education, Graduate and Post Graduate

### प्रस्तावना

शोध पत्र में छात्राओं से महिला कानून के प्रति जागरूकता का भी अध्ययन किया गया है। इस विषय में छात्राओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिला शोषण की प्रकृति के कारण महिलाओं को समाज में दोगुना दर्जा प्राप्त होना एक दूषित मानसिकता है, जिसके कारण महिलायें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में असफल रहती हैं। अतः महिलाओं को शोषण से बचाने एवं उनकी स्थितियों को ऊँचा उठाने के लिए नये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सोच बदलने की एवं समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

### शोध का क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र में अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए छिंदवाड़ा जिले के 14 शासकीय एवं 19 अशासकीय महाविद्यालयों में से छात्राओं की संख्या के आधार पर 6 महाविद्यालयों का चुनाव मेरिट के आधार पर किया गया है। मेरे द्वारा अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए 300 उत्तरदाताओं का चयन स्तरीकृत दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

### फरहत मंसूरी

सहायक प्राध्यापक,  
समाजशास्त्र विभाग,  
शासकीय महाविद्यालय,  
बिछुआ, छिंदवाड़ा, म.प्र., भारत


**शोध के उद्देश्य**

1. शिक्षा से तात्पर्य
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार की स्वीकृति प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त करना
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं द्वारा परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम के लिए प्रयुक्त किये गये साधन की जानकारी प्राप्त करना।
4. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं में संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी प्राप्त करना।

‘व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास’ स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ‘अपनी इच्छा शक्ति और भावों को नियंत्रित कर लिया जाए और वह लाभदायक बन जाए तो वह शिक्षा है।’ शिक्षा एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है, शिक्षा का अर्थ केवल विशेषज्ञ पैदा करना नहीं है बल्कि शिक्षा से नैतिक, सामाजिक और कलात्मक विकास के साथ साथ विवेकशीलता भी बनती है। हम एक शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हैं कि वह विवेकशील होकर उत्तरदायी एवं नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करें।

**तालिका क्रमांक 1****उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए परिवार की स्वीकृति**

क्र.	तथ्य	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
1	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहज स्वीकृति प्राप्त हुई	88%	70%
2	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार पर दबाव बनाकर ली गई स्वीकृति	12%	30%
2.1	भाई के द्वारा दबाव	4%	12%
2.2	माँ द्वारा	3%	12%
2.3	करीबी रिश्तेदार के द्वारा दबाव	3%	8%
2.4	पड़ोसी/दोस्त/ शिक्षक	2%	4%
	<b>योग</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



अध्ययन के दौरान पाया गया है कि स्नातक स्तर की 88 प्रतिशत छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहज स्वीकृति प्राप्त हुई एवं 12 प्रतिशत छात्राओं

को दबाव बनाकर स्वीकृति लेना पड़ा, ये दबाव परिवार के मुखिया पर माँ, भाई, करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त एवं शिक्षक के द्वारा बनाया गया जिसमें 4 प्रतिशत परिवारों में


दबाव भाई के द्वारा बनाया गया। 3 प्रतिशत परिवारों में दबाव करीबी रिश्तेदार के द्वारा बनाया गया एवं 3 प्रतिशत परिवारों में दबाव माँ के द्वारा तथा 2 प्रतिशत परिवारों में छात्राओं को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए स्वीकृति दिलाने में दोस्त, पड़ोसी, शिक्षकों की भूमिका रही। परंतु

इन सब के बाद भी हमारा समाज पुरुष प्रधान होने के कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा, प्राप्त करने के लिए स्वीकृति देने में परिवार के मुखिया की मुख्य भूमिका होती है।

#### तालिका क्रमांक 2

#### परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम के लिए प्रयुक्त किये गये साधन

क्र.	विवरण	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
1	20 प्रश्न का उपयोग करने वाली छात्रायें	52%	45%
2	विद्या गाइड का उपयोग करने वाली छात्रायें	10%	12%
3	टेक्स्ट बुक्स का उपयोग करने वाली छात्रायें	09%	15%
4	शिक्षक के नोट्स का उपयोग करने वाली छात्रायें	12%	15%
5	टेक्स्ट बुक्स + शिक्षक के नोट्स का उपयोग करने वाली छात्रायें	17%	13%
	<b>योग</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



अध्ययन के दौरान पाया गया है कि स्नातक स्तर पर 52 प्रतिशत छात्रायें परीक्षा की तैयारी हेतु 20

प्रश्न का उपयोग करती हैं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत छात्रायें 20 प्रश्न का उपयोग कर रही हैं। विद्या


गाइड का उपयोग करने वाली छात्राओं का प्रतिशत स्नातक स्तर पर 10 प्रतिशत है एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 12 प्रतिशत। तालिका से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर की 9 प्रतिशत छात्रायें तथा स्नातकोत्तर स्तर की 15 प्रतिशत छात्रायें परीक्षा की तैयारी हेतु टेक्स्ट बुक्स का उपयोग करती हैं। स्नातक स्तर पर 12 प्रतिशत छात्रायें

परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षकों के नोट्स का उपयोग करती हैं एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 15 प्रतिशत छात्रायें शिक्षकों के नोट्स का उपयोग कर रही हैं। टेक्स्ट बुक्स एवं शिक्षक के नोट्स का उपयोग करने वाली छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 17 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत है स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं में।

### तालिका क्रमांक 3

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं में संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी प्राप्त करना

क्र.	तथ्य	स्नातक स्तर			स्नातकोत्तर स्तर		
		हाँ	नहीं	योग	हाँ	नहीं	योग
1	छात्राओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता	90%	10%	100%	90%	10%	100%
2	छात्राओं में कानून के प्रति जागरूकता	90%	10%	100%	90%	10%	100%



अध्ययन के दौरान पाया गया है कि महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 90 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भी 90 प्रतिशत छात्राओं को संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों की जानकारी है। अधिकारों के साथ ही छात्रायें कानूनों की भी जानकारी रखती हैं। अध्ययन के दौरान छात्राओं से जानकारी लेते समय पता चला कि केवल 30 प्रतिशत छात्राओं से "महिलाओं से संबंधित कानूनों" के बारे में प्रश्न पूछने पर तुरंत उत्तर मिला जबकि 60 प्रतिशत छात्राओं को थोड़ा कानून के बारे में बताना पड़ा तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में जानती हैं।

#### **निष्कर्ष**

प्रस्तुत शोधपत्र से स्पष्ट होता है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं में शिक्षा, संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकार एवं कानून के प्रति जागरूकता है। शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है तो वहीं कानूनों के माध्यम से महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन इन सब के बाद भी मैं यह कहना चाहूंगी कि जब तक

समाज की सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक महिलाओं को चाहे हम शिक्षित करें या उनकी सुरक्षा के लिए हजारों कानून बना लें समाज में उनकी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची**

- अंजली, 2005 : 'भारत में महिला अपराध', राधा पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, अंसासी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली।*
- मुकजी, रवीन्द्रनाथ : 'सामाजिक अनुसंधान का पद्धति शास्त्र', राम प्रसाद एण्ड संस, आगरा*
- तिवारी शारदा, 2007 : 'शिक्षा का समाजशास्त्र', अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली।*
- नारायण, नाराणी प्रकाश, 2005 : 'मानवाधिकार एवं महिला', सब लाइम पब्लिकेशन, जयपुर।*
- सिंह निशांत, 2008 : महिला विधि, राधा पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली।*
- शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश, 2013 : रिसर्च मेथाडालॉजी, आठवां संस्करण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।*